

समाहरणालय, कटिहार

(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

आदेश

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या 22/आ0प्र0 दि० 26.05.2017 एवं 129/आ0प्र0 दिनांक 11.01.2018 द्वारा बालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245- उपमुख्य शीर्ष-80 सामान्य लघुशीर्ष-800-अन्य व्यय, उपशीर्ष-0102 जागरूकता एवं क्षमता निर्माण विपत्र कोड-39-2245808000102, मांग संख्या-39, विस्तृत शीर्ष-26, विज्ञापन और प्रकाशन, विषय शीर्ष-01 विज्ञापन और प्रकाशन मद के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन मो० 2,00,000.00 + 10,000.00 कुल मो० 2,10,000.00 (दो लाख दस हजार) रुपये में से निम्नलिखित अचल पदाधिकारियों एवं जिला नजारत उप समाहता, कटिहार को उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि का उप-आवंटन करके हुए निकासी की स्वीकृति दी जाती है।

यह आवंटन विभागीय स्वीकृतादेश सं०- 116/आ0प्र0 दिनांक 25.05.2017 व्यय हेतु स्वीकृत राशि में से उपावंटित की जा रही है।

यह उपावंटन बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के ज्ञापांक 3413 दिनांक 15.12.2017 द्वारा किये गये अनुरोध एवं विभागीय संकल्प संख्या 125 दिनांक 13.01.2012 के आलोक में भूकम्प सुरक्षा सप्ताह हेतु व्यय के लिए दी जा रही है।

उपावंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग/जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, कटिहार को अद्युक्त रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

निर्देश दिया जाता है कि उपावंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय। यदि उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2018 तक निश्चित रूप से कर दें। कोषान्तर से राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय। यह आवंटन वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 [वि० (2)] दि० 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निर्देशों को अक्षरशः पालन किया जाय। अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेदार होंगे।


क्र०	निकासी एवं व्ययन पदा० का नाम	विभाग से प्राप्त आवंटन	शीर्ष-2245-80-800-0102 विपत्र कोड-39-2245808000102 के अंतर्गत उपावंटित राशि			अवशेष राशि
			पूर्व उपावंटित राशि	वर्तमान उपावंटित राशि	कुल उपावंटित (4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
1	अचल पदा०, कटिहार	-	10,000.00	-	10,000.00	-
2	अचल पदा०, हसनगंज	-	10,000.00	-	10,000.00	-
3	अचल पदा०, डंडखोरा	-	10,000.00	-	10,000.00	-
4	अ० पदा०, प्राणपुर	-	10,000.00	-	10,000.00	-
5	अ० पदा०, कोढा	-	10,000.00	-	10,000.00	-
6	अचल पदा०, फलका	-	10,000.00	-	10,000.00	-
7	अचल पदा०, सगेली	-	10,000.00	-	10,000.00	-
8	अ० पदा०, कुर्सैला	-	10,000.00	-	10,000.00	-
9	अचल पदा०, वराशी	-	10,000.00	-	10,000.00	-
10	अचल पदा०, मनसाही	-	10,000.00	-	10,000.00	-
11	अचल पदा०, गनिहारी	-	10,000.00	-	10,000.00	-
12	अ० पदा०, अमदाबाद	-	10,000.00	-	10,000.00	-
13	अ० पदा०, कदवा	-	10,000.00	-	10,000.00	-
14	अचल पदा०, आजमनगर	-	10,000.00	-	10,000.00	-
15	अचल पदा०, वारसाई	-	10,000.00	-	10,000.00	-
16	अ० पदा०, बलरामपुर	-	10,000.00	-	10,000.00	-
17	जिला नजारत कटिहार	-	20,000.00	30,000.00	50,000.00	-
	कुल-	2,10,000.00	1,80,000.00	30,000.00	2,10,000.00	0.00

मो० (तीस हजार) रुपये मात्र।

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

ज्ञापक 419 / आ०प्र० II-I & V-05 / 2017 दिनांक 19/07/18

- प्रतिलिपि :- जिला नजारत उप सगाहती, कटिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपि :- आई०टी०प्रबंधक, कटिहार को सूचनार्थ एवं अधोहस्ताक्षरी के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।


जिला पदाधिकारी,
कटिहार ।